

न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या:- 12/100/2021

अपीलार्थी:-

श्री नीरज महावल, पुत्र जितेन्द्र प्रसाद,  
चौपडा बाजारा, लक्ष्मनगढ तहसील  
लक्ष्मनगढ जिला अलवर।

प्रत्यर्थी:-


लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन मुख्य  
कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद अलवर,  
जिला अलवर (राजस्थान)

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

--:: निर्णय ::--

दिनांक:- 28.06.2021

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा-6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 20.04.2021 प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में वर्णित सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वांछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, अलवर से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 28.06.2021 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित आया। लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, अलवर के प्रतिनिधि उपस्थित होकर जरिये पत्र क्रमांक 3867-68 दिनांक 24.06.2021 से अवगत कराया कि प्रा0पत्र दिनांक 20.04.21 के संबंध में चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को कार्यालय के रजिस्टर्ड पत्रांक 3540 दिनांक 08.06.21 के द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध कराई जा चुकी है। लोक सूचना अधिकारी के जबाब से जाहिर है कि प्रार्थी को नियत समय अवधि में सूचित किया जा चुका है। अतः अपील अपीलार्थी निरस्त करने योग्य है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है।
5. लोक सूचना अधिकारी के प्राप्त जवाब के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है
6. निर्णय आज दिनांक 28.06.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
7. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफतर हो।



(नन्मल पहाड़िया)  
जिला परिषद कलक्टर, अलवर  
अलवर (राज०)